भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 640

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

केरल में जल संचय जन-भागीदारी पहल

640. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल के जिलों, विशेषकर कासरगोड में जल संचय जन-भागीदारी पहल को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) जल संचय जन-भागीदारी पहल के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा केरल को जिलेवार कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ग) केरल में जल संचय जन-भागीदारी के कार्यान्वयन में सरकार के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल संचय जन भागीदारी पहल को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य केरल सहित देश भर में, सामुदायिक-नेतृत्व जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। इस पहल में एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर फोकस किया जाता है जिसमें अभिकरण और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न वित्तीय स्रोतों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (कारपोरेट सोशल रेस्पोंसबिलिटी) योगदान आदि का लाभ लिया जाएगा।

सरकार ने कासरगोड सहित केरल में, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जिसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों और नगर निगमों को कार्यान्वयन हेतु दिनांक 07.10.2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय ने पारदर्शिता और गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जल संचय डैशबोर्ड विकसित किया है, जो जीआईएस समन्वय, तस्वीरों और वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हुए पुनर्भरण संरचनाओं को ट्रैक करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दिनांक 04.02.2025 तक, जल संचय जन भागीदारी पहल के अंतर्गत 5.18 लाख पुनर्भरण संरचनाओं को लाया गया है, जिसमें केरल की लगभग 2,768 पुनर्भरण संरचनाएं और कासरगोड की 387 पुनर्भरण संरचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 1% पुनर्भरण

संरचनाओं के गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण किया जाता है। केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और इसके पुनरूद्धार संबंधी तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं जिससे भूजल संवर्धन प्रयासों में सुधार लाया जा सके।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक जिले और नगर निगम में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय जल मिशन में, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के चार समर्पित अधिकारियों को राज्यों, मंत्रालयों, उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों को कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए तैनात किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और तकनीकी एडवाइजरी दस्तावेज को तैयार किया गया है और सभी स्तरों पर हितधारकों को सहायता देने के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से व्यापक रूप से विस्तार किया जा रहा है। इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

(ख): जल संचय जन भागीदारी पहल का कोई अलग से समर्पित बजट नहीं है, बल्कि इसे मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और विभिन्न केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, अमृत, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएसकेएसवाई, काम्पा, सीएसआर आदि के अंतर्गत निधियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ग): जल संचय जन भागीदारी का कार्यान्वयन किसी भी राज्य, जिसमें केरल शामिल है, के विभिन्न तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ अन्य राज्यों की तरह, केरल में भी भौगोलिक परिस्थितियों, ढलान, उच्च वर्षा, उच्च बहाव, जलभराव आदि की कई चुनौतियों के कारण जल संचय जन भागीदारी पहल के कार्यान्वयन को सामना करना पड़ सकता है, जिससे भूजल के सीधे पुनर्भरण वाली जल संरक्षण संरचनाओं की गुंजाइश सीमित हो जाती है। इसके समाधान के लिए, ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखे और कम वर्षा के मौसम के दौरान जल की आवश्यकता हो सकती है, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण और भंडारण के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भूमि की कमी, भीड़भाड़, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण में और भी चुनौती पेश करते हैं। इसके जवाब में, सरकार ने सीधे भूजल के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सलाह और सामान्य प्रश्न जारी किए हैं। इसके जवाब में, सरकार ने सीधे भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक/मौजूदा जल निकायों के पुनरूद्धार और ऐसे क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ पुनर्भरण संरचनाओं के एकीकृत करने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एडवाइजरी और एफएक्यू को जारी किया है। व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी पहल में जल संरक्षण के गहन सामुदायिक कार्यों और स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है।

*****